समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
(आर0 टी0 पी0 एस0, कोषांग)
आदेश

दिनांक 26.11.2014 को आयोजित विडियों कान्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव, बिहार सरकार द्वारा अप्रसन्नता प्रकट करते हुए बताया गया कि पदाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मी जन प्रतिनिधियों एवं आम जनता के साथ मर्यादित ढ़ंग से व्यवहार नहीं करते है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा पदाधिकारियों/कर्मियों को आम जनता/जन प्रतिनिधि के प्रति कुशल व्यवहार करने के लिए लोक संवेदना अभियान चलाने का निदेश दिया गया है।

उपरोक्त दिशा–निर्देश के आलोक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी अपने–अपने प्रखंड/अंचल स्तर पर निम्न रोस्टर के अनुरूप लोक संवेदना अभियान के अन्तर्गत बैठक आयोजित करेंगे एवं लोक संवेदना के प्रति अपने सभी कर्मियों को प्रोत्साहित करेंगें एवं स्वयं भी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

क्र0	प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय का नाम	लोक संवेदना अभियान के अन्तर्गत बैठक आयोजित करने हेतु निर्धारित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	मोतिहारी	09.12.2014	
2	बंजरिया	09.12.2014	
3	तुरकौलिया	09.12.2014	
4	पीपराकोठी	09.12.2014	
5	कोटवा	09.12.2014	
6	सुगौली	09.12.2014	
7	चकिया	10.12.2014	
8	मेहसी	10.12.2014	
9	केसरिया	10.12.2014	
10	कल्याणपुर	10.12.2014	
11	पकड़ीदयाल	13.12.2014	
12	पताही	13.12.2014	
13	फेनहारा	13.12.2014	
14	मधुबन	13.12.2014	
15	तेतरिया	13.12.2014	
16	अरेराज	15.12.2014	
17	पहाड़पुर	15.12.2014	
18	हरसिद्धि	15.12.2014	
19	संग्रामपुर	15.12.2014	
20	ढ़ाका	16.12.2014	
21	चिरैया	16.12.2014	
22	घोड़ासहन	16.12.2014	
23	बनकटवा	16.12.2014	
24	रक्सौल	17.12.2014	

25	रामगढ़वा	17.12.2014	
26	आदापुर	17.12.2014	
27	छौड़ादानों	17.12.2014	

उपरोक्त लोक संवेदना अभियान आयोजन में निम्नलिखित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

1. सभी कार्यालय प्रधान कार्यालय अपने अधीनस्थ कर्मियों की कार्यशैली में अपेक्षित सुधार लाने की दिशा में ठोस एवं कारगर पहल करें तथा उनकी गतिविधियों पर सत्त निगरानी रखेंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी कार्यो में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनी रहे।
2. सभी कार्यालय प्रधान अपने अधीन्स्थ कर्मियों के साथ बैठक कर उन्हें भविष्य के लिए यह सतर्क कर देंगे कि वे जन प्रतिनिधियों/आम जनता से शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करें और संवेदनशील रहकर उनकी समस्याओं का ससमय निष्पादन करें, ताकि प्रतिनिधियों/आम जनता को कोई कठिनाई नहीं रहे तथा प्रशासन पर उनका विश्वास कायम रहे।
3. भविष्य में यदि किसी कार्यालय/शाखा के विरूद्ध इस तरह के दृष्टान्त प्रकाश में आते हैं तो इसे गम्भीरता से लेते हुए ऐस कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
4. ऐसी व्यवस्था की जाय कि ऐसे कार्यालय/शाखा, जिसमें आम जनता का प्रवेश निषेद्य है,में कार्य के सिलसिले में आम जनता कार्यालय कर्मी से सीधे सम्पर्क नहीं करे बल्कि कार्यालय प्रधान से मिल कर अपनी समस्याओं को रखें। संबंधित कार्यालय प्रधान उन्हें शिष्टाचार पूर्वक उनकी समस्याओं को सुनेगे एवं समय सीमा के अन्दर उसका निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। यह अपेक्षा की जा रही है कि सभी कार्यालय प्रधान अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर इस आशय की सूचना प्रदर्शित कर देंगे, ताकि इसकी जानकारी आम जनता को हो जाए।
5. सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने स्तर से भी समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे।
6. उपर्युक्त निदेशों को गम्भीरता से लेते हुए इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं समय-समय पर अद्योहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाए।
7. सभी पदाधिकारी एक शिकायत पेटिका **(Complaint box)** अपने कार्यालय के समक्ष रखेंगे तथा उसकी चॉभी अपने पास ही रखेंगे। प्रत्येक दिन पदाधिकारी स्वयं पेटिका खोलेंगे एवं शिकायत का निष्पादन करेंगे।
8. लोक संवेदना अभियान के तहत् आयोजित बैठक में अपने क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करेंगे एवं उनके विचारो को जानेगे। जिससे आम जनों एवं जन प्रतिनिधियों के प्रति लोक सेवकों के व्यवहार के संबंध में **Feed back** प्राप्त हो सके।

ह०/-

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 293 /दिनांक 6.12.2014

प्रतिलिपिः-1.सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

5/12

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।